न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शुचि त्यागी, आई.ए.एस. जिला कलक्टर धौलपुर

प्रार्थना पत्र (मुकदमा) नम्बर:– 43/2017 (Rcms No. 2017/00141)

उनवानी प्रकरण :–

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरमथुरा तह0 सरमथुरा जिला धौलपुर — प्रार्थी।

बनाम

अब्दुल कयूम उर्फ अब्दुल कईम पुत्र जाबुददीन जाति मुसलमान निवासी कस्बा सरमथुरा तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर ———— अप्रार्थी।

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से :– श्री गोपाल नारायन शर्मा राजकीय अभिभाषक।
2. अप्रार्थी की ओर से:– श्री श्रीकान्त श्रीवास्तव अभिभाषक

निर्णय दिनांक :– 28.2.2018

निर्णय

प्रकरण में माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर ने अपने निर्णय दिनांक 13.6.2017 के द्वारा इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.05.2002 को निरस्त करते हुए प्रकरण इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया है कि अपीलान्ट/अप्रार्थी को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी को ग्राम सरमथुरा में आराजी खसरा नम्बर 468/03/02 रकवा 4 बीघा दिनांक 01.06.1976 को आवटंन कमेटी द्वारा आवंटन की शर्तो पर आवटिंत किया गया परन्तु आवन्टी ने आवन्टन शर्तो की पालना नही की। आवन्टी द्वारा आवन्टित आराजी पर 2 वर्ष के अन्दर सम्पूर्ण आराजी पर काश्त नही की। अतः अप्रार्थी को किया आवन्टन इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.05.2002 के द्वारा निरस्त किया गया। जिसके विरूद्ध अप्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर में अपील प्रस्तुत की।

माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर के निर्णय दिनांक 13.06.2017 की पालना में प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

अप्रार्थी की ओर से श्री श्रीकान्त श्रीवास्तव अभिभाषक ने वकालतनामा पेश किया तथा नोटिस का जवाब पेश किया जिसके तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 468/03/02 रकवा 04 बीघा अप्रार्थी को दिनांक 01.06.1976 को विधिवत् अलोटमेन्ट किया गया था। आराजी के बावत अप्रार्थी ने काबिज होकर

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

आवन्टन शर्तो की विधिवत् पालना की। किसी भी शर्त का उल्लघंन नही किया गया। परन्तु आराजीयात पथरीली है जहां पर फसल बोने के बाद मिट्टी की मात्रा कम होने के कारण फसल तुरन्त सूख जाती है। पानी की सरमथुरा में कोई व्यवस्था नही है। अप्रार्थी हर साल फसल बोता है। परन्तु पानी के अभाव में फसल हर बार सूख जाती है। अप्रार्थी को गैर खातेदार काश्तकार दर्ज किया गया है। सरमथुरा में बन्दोवस्त हो जाने के कारण उक्त आराजी के खसरा नम्बर 253 रकवा 0.45 हैक्टेयर एंव 255 रकवा 0.56 है0 बना है। जिस पर आज भी पटवारी हल्का द्वारा नाजायज कब्जे की रिपोर्ट की जा रही है। जो गलत है। उक्त खसरा नम्बर का नया राजस्व ग्राम मोठियापुरा बना है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त करते हुए अप्रार्थी को किया गया आवन्टन बहाल रखा जावे।

न्यायालय द्वारा अप्रार्थी को साक्ष्य एंव रिकॉर्ड पेश करने हेतु सात अवसर प्रदान किये गये किन्तु अप्रार्थी एंव उनके अभिभाषक द्वारा अपने जवाब के समर्थन में कोई साक्ष्य या दस्तावेज पेश नही किये। दिनांक 23.10.2017 को अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा यह कथन किया कि वह प्रकरण में साक्ष्य प्रस्तुत करना नही चाहते है।

दोनो पक्षो के विद्वान अभिभाषकगणो की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक पैरोकार सरकार ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अप्रार्थी को ग्राम सरमथुरा हाल ग्राम मोठियापुरा में आराजी खसरा नम्बर 468/03/02 रकवा 4 बीघा दिनांक 01.06.1976 को आवटंन कमेटी द्वारा आवंटन की शर्तो के साथ आवटिंत किया गया परन्तु अप्रार्थी ने आबन्टन शर्तो की पालना नही की। अप्रार्थी द्वारा आवन्टित आराजी पर 2 वर्ष के अन्दर समस्त रकवा पर काश्त नही की। अप्रार्थी को माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर के निर्णय दिनांक 13.06.2017 की पालना में साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु सात अवसर दिये गये किन्तु अप्रार्थी ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की। इससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी ने आवंटित आराजी पर आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की है। अप्रार्थी द्वारा इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.05.2002 के विरूद्ध माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर में प्रस्तुत अपील लगभग 15 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई है जो काफी विलम्ब से पेश की है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को किया गया आवन्टन निरस्त किया जावे।

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 468/03/02 रकवा 04 बीघा अप्रार्थी को दिनांक 01.06.1976 को विधिवत् अलोटमेन्ट किया गया था। आराजी के बावत अप्रार्थी ने काबिज होकर आवन्टन शर्तो की विधिवत् पालना की। किसी भी शर्त का उल्लघंन नही किया गया। परन्तु आराजीयात पथरीली है जहां पर फसल बोने के बाद मिट्टी की मात्रा कम होने के कारण फसल तुरन्त सूख जाती है। पानी की सरमथुरा में कोई व्यवस्था नही है। अप्रार्थी हर साल फसल बोता है। परन्तु पानी के अभाव में फसल हर बार सूख जाती है। अप्रार्थी को गैर खातेदार काश्तकार दर्ज किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा नाजायज कब्जे की रिपोर्ट की जा रही है। जो गलत है। अप्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी होने पर माननीय

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई थी। जो जानकारी दिनांक से अन्दर म्याद थी। इस तथ्य को माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर ने अपने निर्णय में माना है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त करते हुए अप्रार्थी को किया गया आवन्टन बहाल रखा जावे।

दोनो पक्षो की बहस सुनने एंव पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर मनन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि:–

1. यह सही है कि इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 90/2002 सरकार बनाम अब्दुल कईम में पारित निर्णय दिनांक 21.5.2002 के द्वारा अप्रार्थी को किया गया आराजी खसरा नम्बर 468/3/2 रकवा 4 बीघा वाके ग्राम सरमथुरा हाल खसरा नम्बर 253 रकवा 0.45 हैक्टेयर खसरा नम्बर 255 रकवा 0.56 हैक्टेयर वाके ग्राम मोठियापुरा का आवंटन निरस्त किया गया था ।
2. न्यायालय के आदेश दिनांक 21.5.2002 के विरूद्ध अप्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुरा कैम्प धौलपुर में अपील दायर की। माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 13.6.2017 के द्वारा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 21.5.2002 को निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया ।
3. माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में अप्रार्थी के अभिभाषक को सुना गया तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने बावत सात अवसर प्रदान किये किन्तु अप्रार्थी द्वारा अपने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये ।
4. अप्रार्थी को दिनांक 01.06.1976 को आराजी खसरा नम्बर 468/03/02 रकवा 04 बीघा बाके ग्राम सरमथुरा हाल खसरा नम्बर 253 रकवा 0.45 हैक्टेयर खसरा नम्बर 255 रकवा 0.56 हैक्टेयर वाके ग्राम मोठियापुरा का आवन्टन, आवन्टन की शर्तो के अधीन किया गया था। आवन्टन शर्तो के अनुसार अप्रार्थी को 02 वर्ष के अन्दर समस्त रकवे पर काश्त करनी चाहिए थी किन्तु आवन्टी/अप्रार्थी ने आवन्टन शर्त के मुताबिक उक्त आराजी पर अन्दर 2 वर्ष कभी भी काश्त नही की। इस तथ्य की पुष्टि नकल खसरा गिरदावरी 2038 लगायत 2041 एंव 2042 से 2049 सम्बत् 2050 से 2053, सम्बत 2054 से 2056 से होती है। जिसमें जमीन बंजर दर्ज है।
5. अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक के इस कथन से भी हम सहमत नहीं है कि पटवारी हल्का द्वारा विवादित आराजी पर अप्रार्थी के विरूद्ध धारा 91 एल.आर एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। क्योंकि इस सम्बन्ध में अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा कोई साक्ष्य या दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किये गये हैं ।
6. प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी मौके पर खाली है उक्त आराजी में डगरिया होने के कारण कोई फसल नहीं हो रही है ।
7. अप्रार्थी को आवंटन वर्ष 1976 से सन् 2002 तक करीब 26 वर्ष का समय हो चुका था किन्तु अप्रार्थी द्वारा गैर खातेदार से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इससे यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी पर अप्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं था तथा अप्रार्थी द्वारा आवंटन की शर्तो का पालन नहीं किया गया था ।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना एंव अप्रार्थी को किया गया आवटंन निरस्त किया जाना उचित समझते है।

अतः अप्रार्थी अब्दुल कयूम उर्फ अब्दुल कईम पुत्र जाबुद्दीन जाति मुसलमान निवासी कस्बा सरमथुरा तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर को आराजी खसरा नम्बर 468/03/02 रकवा 04 बीघा बाके ग्राम सरमथुरा हाल खसरा नम्बर 253 रकवा 0.45 हैक्टेयर 255 रकवा 0.56 हैक्टेयर वाके ग्राम मोठियापुरा का किया गया आवन्टन निरस्त किया जाता है। तथा तहसीलदार सरमथुरा को निर्देश दिये जाते है कि वह उक्त आराजी की राजस्व रिकॉर्ड में आवन्टन से पूर्व की स्थिति दर्ज करें। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.2.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर, धौलपुर

जिला कलक्टर
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)